न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/5865/2006/बीकानेर

मोहनलाल पुत्र श्री चुन्नीलाल, जाति पुरोहित निवासी तोलियासर, तहसील डूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– श्रीमति गीता बेवा श्री सीताराम
2– रमेश कुमार पुत्र श्री सीताराम
3– अनिल कुमार पुत्र श्री सीताराम
4– सुशीला पुत्री श्री सीताराम
5– श्यामा पुत्री श्री सीताराम
6– जुगल किशोर पुत्र तेजमाल पुरोहित निवासी पी.डब्ल्यू.डी. स्टोर के पास, बीकानेर।
7– मदनलाल पुत्र तेजमाल पुरोहित निवासी पी.डब्ल्यू.डी. स्टोर के पास, बीकानेर।
8– श्रीमति कमला देवी बेवा श्री तेजमाल पुरोहित निवासी पी.डब्ल्यू.डी. स्टोर के पास, बीकानेर।
9– श्रीमति गीतादेवी धर्मपत्नि श्री रूपाराम पुरोहित निवासी तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
10– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

उपस्थित :
श्री अजीत सिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री के.के. पुरोहित, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8

दिनांकः– 07–1–2026

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 69/2006 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–8–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ न्यायालय में एक राजस्व वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित खसरा नम्बर 18 रकबा 33 बीघा 19 बिस्वा, 374 रकबा 65 बीघा 10 बिस्वा, 541 रकबा 34 बीघा 12 बिस्वा, 719 रकबा 31 बीघा 3 बिस्वा व ग्राम जेतासर में स्थित खसरा नम्बर 178 रकबा 51 बीघा 4 बिस्वा के रिकॉर्डेड खातेदार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के दादा स्व0 पेमाराम थे। पेमाराम के दो पुत्र चुन्नीलाल (अपीलार्थी वादी के पिता) तथा तेजमाल (प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 प्रतिवादीगण के पूर्वज) हुए। तेजमाल दिनांक 12—10—1942 को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा मु0 मथराबाई बेवा श्री हिम्मताराम पुरोहित निवासी बीकानेर के गोद चला गया जिससे विवादित भूमि में तेजमाल का कोई हक अधिकार एवं हिस्सा व स्वत्व शेष नहीं रहा, लेकिन दौराने बन्दोबस्त गलत इन्द्राज होकर चुन्नीलाल के साथ—साथ तेजमाल का भी नाम पेमाराम की उक्त खातेदारी भूमि में अंकित हो गया उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर तेजमाल ने खसरा नम्बर 18 रकबा 33 बीघा 19 बिस्वा रामकरण व लालचन्द्र को विक्रय कर दी एवं खसरा नम्बर 178 रकबा 51 बीघा 4 बिस्वा स्थित ग्राम जेतासर पुरखाराम निवासी परसनेइ तहसील रतनगढ़ को विक्रय कर दी। वर्तमान में मात्र विवाद खसरा नम्बर 541 रकबा 34 बीघा 12 बिस्वा रोही तोलियासर का है जिसका आधा पूर्वी हिस्सा वादी ने प्रत्यर्थी संख्या 9/प्रतिवादी संख्या 5 गीता देवी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया एवं शेष पश्चिमी आधे हिस्से पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है। लेकिन भूमि दौराने बन्दोबस्त गलत इन्द्राज होकर तेजमाल के तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज होने से वे वादी को धमकी दे रहे हैं कि जिस प्रकार खेत खसरा नम्बर 18 व 178 का हमारे पिता व पति ने विक्रय किया था उसी प्रकार से खसरा नम्बर 541 के आधे हिस्से को किसी अन्य को विक्रय कर उसका कब्जा हटा दिया जायेगा, जबकि खसरा नम्बर 541 के पश्चिमी आधे हिस्से पर वादी की कब्जा काश्त है व आधे पूर्वी हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 5 का कब्जा काश्त है। अपीलार्थी वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद प्रस्तुत कर उसे खातेदार घोषित करने, भूमि का तकासमा करवाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का निवेदन किया।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिये अभिभाषक वाद का विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनों को इन्कार किया तथा गोदनामा दिनांक 12—10—1942 को न्यायालय मुन्सफी, बीकानेर स्टेट द्वारा दिनांक 02—2—1946 को निरस्त करना जाहिर करते हुए उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कुल 6 तनकीयात कायम कर बाद साक्ष्य सुनवाई दिनांक 17—4—2006 को वादी

का वाद डिक्री किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 24–8–2006 द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील विचारण में अपीलार्थी पक्ष की ओर से पंजीकृत गोदनामा दिनांक 12–10–1942 की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से ग्राम तोलियासर की मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2000 से 2003 की प्रति प्रस्तुत की गई।

3– प्रत्यर्थी संख्या 9 की तलबी बंद की जाकर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि प्रकरण में विवाद मात्र खसरा नम्बर 541 रकबा 34 बीघा 12 बिस्वा ग्राम तोलियासर का है जिसके रिकॉर्डेड खातेदार श्री पेमाराम पुरोहित थे, जिनके दो पुत्र चुन्नीलाल एवं तेजमाल हुए जिनमें से तेजमाल जरिये पंजीकृत गोदनामा दिनांक 12–10–1942 मु0 मथरादेवी बेवा श्री हिमताराम पुरोहित निवासी बीकानेर के गोद चला गया जिससे उक्त भूमि में तेजमाल का कोई हक, अधिकार एवं हिस्सा शेष नहीं रहा व मात्र चुन्नीलाल उक्त भूमि का स्वत्वाधिकारी हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा तथाकथित गोदनामा को न्यायालय मुंसफी बेरनजात राज श्री बीकानेर के निर्णय दिनांक 02–2–1946 से निरस्त किया जाना जाहिर किया है, जो कतई गलत है क्योंकि निर्णय दिनांक 02–2–1946 में ग्राम समोरखी एवं अन्य गांवों में बख्शी हुई भूमि बाबत गोदनामा दिनांक 12–10–1942 को लागू नहीं होना माना गया था, अर्थात सम्पूर्ण गोदनामा निरस्त नहीं किया गया था। उक्त गोदनामे के अलावा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जलदाय विभाग बिल प्रदर्श 4 में भी तेजमाल के पिता का नाम हनुमतराय अंकित है। कोलायत विधानसभा मतदाता सूची प्रदर्श–5 में भी तेजमाल के पिता का नाम हनुमत सिंह अंकित है। प्रत्यर्थीगण द्वारा यह कहीं भी सिद्ध नहीं किया है कि उनके पूर्वज तेजमाल हिमताराम/हनुमत सिंह के गोद नहीं गए, न ही उन्होंने रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 12–10–1942 को निरस्त करवाया है। फिर भी अपीलीय न्यायालय ने सक्षम सिविल न्यायालय का क्षैत्राधिकार प्रयोग करते हुए गोदनामे को निरस्त मानते हुए आक्षेपित पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कुल 6 तनकीयात कायम की जाकर मौखिक साक्ष्यों एवं प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचित करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गई थी, लेकिन अपीलीय न्यायालय ने किसी भी साक्ष्य एवं तनकी का विवेचन किए बिना आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपूर्ण एवं विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो काबिल निरस्त है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय उचित एवं विधिसम्मत है कि निर्णय दिनांक 02–2–1946 में सम्पर्ण गोदनामा निरस्त नहीं किया गया है जिससे यह

विवादित भूमि हेतु पूर्णतः प्रभावी है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश में निर्णय दिनांक 02–2–1946 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या की है। अपीलीय न्यायालय ने गोदनामें को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने का अभिमत दिया गया है जो कि सही नहीं है। सिविल न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक न तो गोदनामा निरस्त किया गया है और न ही इसे किसी ने चुनौती दी है लेकिन अपीलीय न्यायालय ने अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर गोदनामे को शून्य एवं निष्प्रभावी होने का आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। गोद जाने पश्चात गोदपुत्र का अपने प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार शेष न रह कर वह अपने गोदपिता की भूमि में ही अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी रहता है। प्रत्यर्थीगण ने गोदनामा होना माना है जिसे किसी सक्षम न्यायालय ने कल अदम घोषित नहीं किया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–8–2006 को निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्थन में न्यायिक नजीर 2003 (3) आर.एल.डब्ल्यू पेज 1891, 1999 आर.बी.बी.जे पेज 7 एवं 1998 आर.बी.बी.जे पेज 484 का उल्लेख किया गया।

5– उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि तथाकथित गोदनामा दिनांक 12–10–1942 न्यायालय मुंसफी राज श्री बीकानेर द्वारा जरिये मु0नं. 301/1943 बउनवानी हमीरसिंह बनाम तेजमाल वल्द पेमाराम में निर्णय दिनांक 02–2–1946 द्वारा निरस्त कर शून्य घोषित किया जा चुका है। उक्त आदेश में विस्तृत एवं तनकीवार निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि तत्समय प्रचलित रीति नोर्म्स अनुसार पक्षकारान के पुरोहित जाति समाज में नजदीक के रिश्तेदार को ही गोद लिया जा सकता है, न कि दूर सम्बन्धी किसी रिश्तेदार को। निर्णय में स्पष्ट व विस्तृत विश्लेषण पश्चात तेजमाल को मथरा देवी बेवा हिमताराम द्वारा गोद लिया जाने को बमुकाबले मुदुईयान हमीरसिंह वगैरह कल अदम घोषित किया गया था। पूर्ण गोदनामा प्रभावशून्य घोषित होने से इसे समोरखी व अन्य गांवों की भूमि हेतु ही निष्प्रभावी मानने का तर्क चलने योग्य नहीं है तथा विचारण न्यायालय ने इस निर्णय की गलत व्याख्या कर दावा डिक्री किया गया है, जिसे अपीलीय न्यायायल ने विधिसम्मत व स्पष्ट विवेचन के साथ उचित होना नहीं माना है। गोदनामा प्रभावशून्य घोषित हो जाने से हिमताराम की सम्पत्ति में तेजमाल का कोई अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए अपीलार्थी अधिवक्ता का यह तर्क चलने योग्य नहीं है कि गोद पश्चात तेजमाल को उसके गोदपिता की भूमि में ही अधिकार मिल सकता है न कि प्राकृतिक पिता पेमाराम की सम्पत्ति में। स्व0 तेजाराम उर्फ तेजमाल अपने जीवनपर्यन्त स्व0 पेमाराम के ही पुत्र रहे। मथरा बेवा हिमताराम ने कानूनी रूप से तेजमाल को कभी गोद नहीं लिया, न कोई इस बाबत सामाजिक रीति रिवाज हुये। खसरा नम्बर 541 में स्व0 चुन्नीलाल की मृत्यु उपरांत उनके वारिस वादी का 1/2 हिस्सा हो गया तथा तेजमाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा था। मु0 चुनी एवं

मोहनलाल (वादीगण) द्वारा अपना 1 / 2 हिस्सा मु0 गीता प्रतिवादी संख्या 5 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया गया है जिसमें भी वादीगण ने दस्तावेज में भूमि में अपना आधा हिस्सा ही होना माना है। वर्तमान में वादी के स्वामित्व की कोई भूमि शेष नहीं बची है। वादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे पूर्ण भूमि पेमाराम की कभी होना साबित हो, बल्कि बंदोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2000 से 2003 तथा उसके बाद में सदैव पूर्ण भूमि चुन्नीलाल व तेजमाल एवं उनके उत्तराधिकारियों के नाम ही दर्ज रही। खसरा नम्बर 541 के अलावा वाद पत्र में उल्लेखित अन्य आराजीयात को जरिये विक्रय पत्र दोनों भाईयों ने पूर्व में विक्रय कर दिया है तथा वादी ने कभी इस पर आपत्ति नहीं की, अतः अब मात्र शेष रही खसरा नम्बर 541 की आधी भूमि के लिए उसकी आपत्ति तथा घोषणा का दावा चलने योग्य नहीं है। पेमाराम की मृत्यु तथाकथित गोदनामे से पहले ही हो चुकी थी, इसलिए तेजमाल का अपने प्राकृत्तिक पिता की भूमि में अधिकार वैसे भी सुरक्षित रहता है। प्रतिवादीगण व गीता देवी के मध्य खसरा नम्बर 541 हेतु विधिवत तकासमा हो चुका है तथा वादी द्वारा यह तथ्य छिपाया जाकर वाद पेश किया है। तकासमा अनुसार खसरा नम्बर 541 के पूर्वी हिस्से पर प्रतिवादी 5 मु0 गीता व पश्चिमी ओर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का कब्जा काश्त है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त कतई नहीं है। विचारण न्यायालय ने अधिकारिता क्षेत्र से परे जाकर वादी का वाद मनमाने तौर पर डिक्री किया था, किंतु अपीलीय न्यायालय ने विस्तृत विवेचना के साथ प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से हस्तगत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ रेकॉर्ड का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

7— अपीलार्थी वादी द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ में वर्ष 2001 में प्रस्तुत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा दावे में मुख्यतः इस आधार पर विवादित भूमि खसरा नम्बर 541 के आधे हिस्से पर अपना अधिकार होना क्लेम किया है कि पेमाराम के 2 पुत्र चुन्नीलाल (वादी के पिता) एवं तेजमाल उर्फ तेजाराम जो कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मौरूस हैं, में से तेजमाल को मथरा देवी विधवा हिमताराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 12—10—1942 को गोद ले लिया गया था, अतः इस आधार पर तेजमाल अथवा उसके वारिसों का इस भूमि में कोई हक अधिकार शेष नहीं रहता है। दावे में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तथा प्रतिवादी संख्या 5 गीता देवी द्वारा अस्वीकारोक्ति जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जिसमें उनका पक्ष है कि गोदनामें को निर्णय दिनांक 02—2—1946 द्वारा निरस्त व प्रभावहीन घोषित कर दिया गया था तथा उनका अधिकार ग्राम तोलियासर स्थित भूमि में ही बनता है। दावे में विरचित तनकीयात में से

तनकी संख्या 1 व 5 इसी विषयवस्तु से सम्बन्धित हैं। प्रदर्श–2 पंजीकृत गोदनामें के विरूद्ध मुदईयान हमीर सिंह वगैरह ने अदालत मुन्सफी बेरनजात राज श्री बीकानेर में दिनांक 05–7–1943 को उक्त गोदनामा मुदईयान बाबत कल अदम व बेअसर घोषित किये जाने का दावा प्रस्तुत किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा 3 विवाद्यक कायम करते हुए दिनांक 2–2–1946 को विस्तृत निर्णय दिया जाकर दावा स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय में गोदनामा मुदईयान बाबत प्रभावशून्य होने व तेजमाल की बजाय मुदईयान के हिमताराम व मथरा देवी की सम्पत्ति के हकदार होने बाबत स्पष्ट विनिश्चय कर माना गया है कि पक्षकारान समाज के तत्समय प्रचलित व प्रभावी सामाजिक रीतिरिवाज नियम अनुसार नजदीक के रिश्तेदार की जगह दूर के रिश्तेदार को गोद नहीं लिया जा सकता है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा मौलिक आधारों पर विवेचन उपरांत हमीरसिंह वगैरह को हिमताराम का वारिस होना माना है। निर्णय दिनांक 02–2–1946 में तेजमाल के पक्ष में सम्पादित गोदनामे को कल अदम व बेअसर घोषित किया गया है। अपीलार्थी पक्ष का यह तर्क चलने योग्य नहीं है कि उक्त निर्णय समोरखी व अन्य गांवों की भूमियों हेतु ही प्रभावी होकर तोलियासर स्थित विवादित भूमि के लिए लागू नहीं होता है। हमारा अभिमत है कि विचारण न्यायालय का गोदनामा पूरी तरह निरस्त नहीं किया जाने तथा निर्णय दिनांक 02–2–1946 विवादित भूमि हेतु बेअसर मानने का विवेचन त्रुटिपूर्ण होकर निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अदालत मुन्सफी के निर्णय का उचित एवं सम्यक विवेचन करते हुए विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त किया गया है तथा स्पष्ट विवेचन अनुसार पेमाराम की भूमि में चुन्नीलाल व तेजमाल का विधि अनुसार बराबर हिस्सा होना माना है, जिसमें हम कोई त्रुटि होना नहीं मानते हैं। वैसे भी तेजमाल का हिमताराम की भूमि में हक अधिकार न होना घोषित हो जाने की स्थिति में उसे अपने मूल परिवार की भूमि में भी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी न मानना उचित एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

8– दावा खसरा नम्बर 541 रकबा 34 बीघा 12 बिस्वा के आधे हिस्से के लिए ही प्रस्तुत किया गया है जबकि सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2000–03 व सम्वत 2016–35 अनुसार खसरा नम्बर 541 के साथ–साथ वाद पत्र में उल्लेखित अन्य आराजीयात भी पेमाराम के पुत्रों चुन्नीलाल व तेजमाल / तेजाराम के नाम दर्ज थी। तेजाराम द्वारा इनमें से खसरा नम्बर 18 की भूमि सन् 1981 में तथा खसरा नम्बर 178 की भूमि को सन् 1973 में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान कर दिया। विवादित भूमि शुरू से चुन्नीलाल व तेजमाल के नाम ही दर्ज थी तथा अगर वादी का पक्ष यह है कि तेजमाल वर्ष 1942 में ही मथरा देवी के गोद चला गया था तो उसे अपनी आपत्ति एवं पक्ष यथासमय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए था। आराजी खसरा नम्बर 541 में स्वयं वादी व उसकी मां चुनी अपने आधे हिस्से की भूमि वर्ष 1991 में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र गीता देवी को विक्रय कर चुके हैं तथा सम्पादित विक्रय दस्तावेज में वे इस भूमि में अपना आधा हिस्सा ही

होना मानते हैं। हमारा मानना है कि दोनों पक्ष अपने नाम दर्ज अधिकांश भूमि को पूर्व में विक्रय कर चुके हैं तथा चुन्नीलाल अथवा वादी ने सन् 2001 से पूर्व विपक्षी पक्ष को उनके नाम दर्ज भूमि को अंतरित करने से रोकने बाबत सक्षम न्यायालय में उजर भी दायर नहीं किया, अतः अब मात्र शेष रहे खसरा नम्बर 541 के लिए ही अपीलार्थी वादी की इसके आधे हिस्से की भूमि बाबत तेजमाल का मथरा के गोद चले जाने की आपत्ति के साथ घोषणा का क्लेम बलहीन होकर चलने योग्य नहीं है। जमाबन्दी सम्वत 2055 अनुसार आराजी नम्बर 541 का प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बंटवारा हो चुका है जिसके अनुसार पूर्वी आधे हिस्से की खातेदार गीता देवी तथा पश्चिमी आधे हिस्से के प्रतिवादी संख्या 1 से 4 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। अपीलार्थी वादी का पक्ष तथ्यपरक व विधिक दोनों ही आधारों पर साबित नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि एवं साक्ष्यों का त्रुटिपूर्ण विवेचन कर दावा डिक्री किया गया, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्पष्ट व पुष्ठ विश्लेषण के साथ सकारण निर्णय द्वारा निरस्त कर दिया, जिसमें हम द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप की गुंजाईश होना नहीं पाते हैं। अतः हस्तगत अपील सारहीन होकर निरस्तनीय है।

9— विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप हस्तगत अपील सारहीन होकर खारिज की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24—08—2006 की पुष्टि की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटा दिया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य

(अजीत सिंह राजावत)
सदस्य